भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

19 जनवरी 2010

बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली – 2010

सं0 ग्रा0वि0 2/स्था0-10-23/08-447—जी0एस0आर0- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार ग्रामीण विकास सेवा का गठन और उसमें भर्ती की पद्धति तथा सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय -1

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार :-

(i) यह नियमावली बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली- 2010 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ- जबतक इस विषय या संदर्भ के विरूद्ध कोई अन्यथा न हो, इस नियमावली के प्रयोजन हेतु,

(क) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न सूची ;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है "बिहार लोक सेवा आयोग" ;

(ग) "ग्रेड" से अभिप्रेत है अनुसूची में विर्निदिष्ट कोई ग्रेड ;

(घ) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल ;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है "बिहार के राज्यपाल" ;

(च) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है "बिहार की राज्य सरकार" ;

(छ) "वर्ष" से अभिप्रेत है "वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक" की अवधि ;

(ज) "वर्ष के अंदर रिक्ति" से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से उपलब्ध रिक्ति ;

(झ) "विभाग" से अभिप्रेत है "ग्रामीण विकास विभाग" ;

(ञ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा समय-समय पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति ;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है "बिहार ग्रामीण विकास सेवा" ;

(ठ) "सेवा का सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन "बिहार ग्रामीण विकास सेवा" में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति ;

(ड) "संवर्ग" से अभिप्रेत है "बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग" ;

(ढ) "संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार" से अभिप्रेत है "प्रधान सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग"।

3. सेवा का गठन एवं पदों का वर्गीकरण :-

(क) इस अधिसूचना के निर्गत की तिथि से बिहार ग्रामीण विकास सेवा का गठन किया जाता है।

(ख) सेवा में स्वीकृत पदों की संख्या और इसके विभिन्न पदों के वर्गीकरण इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में दी गयी विवरणी के अनुसार होगी ;

परंतु यह कि सरकार अनुसूची को आवश्यकतानुसार संशोधित कर सकेगी और इसमें दिये गये पदों की संख्या घटा-बढा सकेगी या पदों की कोई भी संख्या स्थगितावस्था में रख सकेगी तथा ग्रेड में परिवर्तन कर सकेगी।

अध्याय -2

4. रिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना —राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक सेवा में नियुक्ति हेतु रिक्तियाँ निर्धारित करेगी तथा इसकी सूचना आयोग को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक उपलब्ध करायेगी।

5. आरक्षण—इस सेवा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू रहेंगे।

6. उम्र सीमा—सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के एक अगस्त को इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

7. कालावधि—सेवा के विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि वही होगी, जो राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय।

8. बेसिक ग्रेड में नियुक्ति—(क) (i) बेसिक ग्रेड में नियुक्ति सीधी भर्ती से आयोग द्वारा अन्य सेवाओं जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार आरक्षी सेवा, बिहार वित्त सेवा आदि के लिए निर्धारित मानदण्डों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा।

(ii) आवेदक को किसी परिनियत (स्टैटुटरी) विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (डिग्री) धारण करना आवश्यक होगा अथवा उसे ऐसी अन्य अहर्त्ताएं रखना आवश्यक होगा जिन्हें राज्यपाल, समय-समय पर, उक्त उपाधियों के समकक्ष घोषित करें।

(iii) बेसिक ग्रेड में प्रथम पदस्थापन ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर होगा।

(ख) जबतक इस संवर्ग में नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है तबतक के लिए राज्य सरकार अनुसूची 1 के पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए अंतरिम व्यवस्था कर सकेगी। नियमित नियुक्ति होने पर यह अंतरिम व्यवस्था स्वत: समाप्त हो जायेगी।

9. प्रथम प्रोन्नति पदक्रम (ग्रेड) —प्रथम प्रोन्नति ग्रेड के पदों को मूल संवर्ग के पदाधिकारियों से जो केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो तथा सेवा में संपुष्ट हो, कम-से-कम तीन वर्षों की सेवा के उपरान्त प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर प्रोन्नति कर पदस्थापित किया जा सकेगा। ये पद वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

10. द्वितीय/ तृतीय/चतुर्थ/पंचम प्रोन्नति पदक्रम (ग्रेड) —द्वितीय / तृतीय/चतुर्थ/पंचम प्रोन्नति पदक्रम (ग्रेड) प्रोन्नति पदक्रम के पदों को वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

11. विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना एवं कार्य :-

(क) प्रथम से चतुर्थ पदक्रम (ग्रेड) तक के पदों पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :-

(i) विकास आयुक्त -	अध्यक्ष।
(ii) प्रधान सचिव/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग -	सदस्य।
(iii) प्रधान सचिव/ सचिव, वित्त विभाग -	सदस्य।
(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि -	सदस्य।
(v) प्रधान सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-	सदस्य सचिव।

(ख) पंचम पदक्रम (ग्रेड) के पदों पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :-

(i) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग -	अध्यक्ष।
(ii) प्रधान सचिव/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग -	सदस्य।
(iii) प्रधान सचिव/ सचिव, वित्त विभाग -	सदस्य।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नामित
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि - सदस्य ।
(v) प्रधान सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग- सदस्य सचिव ।

(ग) विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आलोक में प्रोन्नति के लिए पदाधिकारियों का अंतिम चयन सरकार करेगी ।

अध्याय -3
परिवीक्षा, प्रशिक्षण एवं संपुष्टि

12. परिवीक्षा :-

(क) मौलिक रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त होनेवाला प्रत्येक पदाधिकारी पद ग्रहण की तिथि से दो वर्षो की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा ।

(ख) परिवीक्षा अवधि पूरी करने पर पदाधिकारी का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर, सरकार परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष बढ़ा सकेगी यदि प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की सम्भावना है । बढ़ाई गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

(ग) नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाय ।

13. प्रशिक्षण—सेवा में प्रविष्टि के बाद प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष की होगी । सामान्यत: प्रथम चरण में प्रशिक्षण की यह अवधि तीन माह एवं द्वितीय चरण में एक माह बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)/ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) में होगी। दोनों चरणों के बीच एक माह का प्रशिक्षण किसी ग्राम पंचायत में, चार माह का प्रशिक्षण प्रखंड में, एक माह का प्रशिक्षण अनुमंडल में एवं दो माह का प्रशिक्षण जिला स्तर पर होगा । प्रशिक्षण के अंत में कार्यकलापों का मूल्यांकन बिपार्ड/ सर्ड द्वारा किया जाएगा ।

14. सम्पुष्टि—परिवीक्ष्यमान रूप में नियुक्त पदाधिकारी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगा :-

(क) विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लिया हो;

(ख) समय-समय पर विहित किया जानेवाला प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और प्रशिक्षण के अंत में, यदि परीक्षा हो, तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो, एवं

(ग) इस अवधि में उसका आचरण एवं सेवा संतोषजनक रहा हो ।

अध्याय -4
वेतन एवं वरीयता

15. वेतन—विभिन्न ग्रेड के पदों के वेतनमान अनुसूची में दिये गए विवरण के अनुसार या समय-समय पर सरकार द्वारा पुनरीक्षित उनके समकक्ष वेतनमान के अनुसार होंगे । किसी भी वेतनमान में किसी पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण सरकार द्वारा विहित प्रक्रियानुसार किया जायेगा ।

16. वरीयता—इस सेवा के सदस्यों की वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित सिद्धांतों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगी ।

अध्याय -5
अन्यान्य

17. विनियम बनाने की शक्ति—इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विभाग विनियमावली बना सकेगा ।

18. निरसन एवं व्यावृत्ति—इस नियमावली के पूर्व निर्गत तत्संबंधी सभी नियमावली/निर्देश आदि निरसित समझे जाएंगे । ऐसे निरसन के बावजूद प्रासंगिक नियमावली/ निर्देश आदि के तहत किए गए कार्य एवं की गई कार्रवाई इस नियमावली के तहत किए गए कार्य समझे जाएंगे ।

19. विसंगतियों/ शंकाओं का निराकरण—इस नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विसंगतियों/शंकाओं के निराकरण की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी ।

20. जो विषय अथवा बिन्दु इस नियमावली में समाहित नहीं हैं उनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक संहिता/ नियमावली/ संकल्प/ निर्देश में किए गए प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में लागू होंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- अस्पष्ट, प्रधान सचिव ।

अनुसूची-1

(क) मूल संवर्ग

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति	पद सृजन की स्थिति
1.	ग्रामीण विकास पदाधिकारी	9300-34800 (पी0बी02)	4200	534	प्रत्येक प्रखंड में एक पद	ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य
कुल पद				**534**		

(ख) प्रथम प्रोन्नति पदक्रम (ग्रेड) :-

1.	प्रखंड विकास पदाधिकारी	9300-34800 (पी0बी02)	4800	534	प्रत्येक प्रखंड में एक पद	ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजित एवं स्वीकृत
2.	कार्यपालक दण्डाधिकारी	9300-34800 (पी0बी02)	4800	147		कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सृजित (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
कुल पद				**681**		

(ग) द्वितीय प्रोन्नति पदक्रम (ग्रेड) :-

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति	पद सृजन की स्थिति
1.	सहायक परियोजना पदाधिकारी	9300-34800 (पी0बी02)	5400	138	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में स्वीकृत
2.	सहायक जिला विकास पदाधिकारी	9300-34800 (पी0बी02)	5400	228	जिला स्तर पर जिला समाहरणालय/ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में 6 पद	असृजित पद (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
3.	सहायक प्रमंडलीय विकास पदाधिकारी	9300-34800 (पी0बी02)	5400	54	प्रमंडल स्तर पर (9x6=54 पद)	असृजित पद (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
4.	सहायक निदेशक	9300-34800 (पी0बी02)	5400	40	राज्य स्तर पर (40 पद)	असृजित पद (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
कुल पद				**460**		

(घ) तृतीय प्रोन्नति पदक्रम (ग्रेड) :-

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति	पद सृजन की स्थिति
1.	परियोजना पदाधिकारी-सह - निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन	15600-39100 (पी0बी03)	6600	38	प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में दो पद।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सृजित एवं स्वीकृत (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
2.	परियोजना पदाधिकारी-सह - निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम	15600-39100 (पी0बी03)	6600	38		
3.	जिला विकास पदाधिकारी	15600-39100 (पी0बी03)	6600	38	प्रत्येक जिला समाहरणालय में एक पद।	असृजित पद (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
4.	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	15600-39100 (पी0बी03)	6600	38	प्रत्येक जिला परिषद में एक पद।	असृजित पद (पंचायती राज विभाग द्वारा सृजन योग्य)
5.	उप निदेशक	15600-39100 (पी0बी03)	6600	20	राज्य स्तर पर	असृजित पद (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
कुल पद				**172**		

(च) चतुर्थ प्रोन्नति पदक्रम(ग्रेड) :-

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति	पद सृजन की स्थिति
1.	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	15600-39100 (पी0बी03)	7600	10	10 जिला परिषदों में 1-1 पद (शेष जिलों में बि0 प्र0 से0 से पदस्थापन)	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से सृजित एवं स्वीकृत (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
2.	प्रमंडलीय विकास पदाधिकारी	15600-39100 (पी0बी03)	7600	9	प्रत्येक प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में एक पद।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी के लिए 6 पद स्वीकृत (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
3.	संयुक्त निदेशक	15600-39100 (पी0बी03)	7600	15	राज्य स्तर पर दस पद-बिपार्ड/सर्ड में पॉच पद	असृजित पद (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य) सृजित पद
कुल पद				**34**		

(छ) पंचम प्रोन्नति पदक्रम(ग्रेड) :-

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति	पद सृजन की स्थिति
1.	अपर निदेशक	37400-67000 (पी0बी04)	8700	5	राज्य स्तर पर	असृजित पद (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सृजन योग्य)
कुल पद				**5**		

इसके अतिरिक्त अवकाश/प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति आरक्षित हेतु कुल पद का 4 (चार) प्रतिशत यानि 75 (पचहत्तर) पद होगा।

इस प्रकार इस संवर्ग के पदाधिकारियों का कुल बल 1961, 4 प्रतिशत अवकाश/ प्रशिक्षण/ प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित पद सहित होगा।

राज्य सरकार उपर्युक्त पद संरचना में कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर संशोधन कर सकेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

15 जनवरी 2010

सं० 3/स्था0रा0भू0बि0 4020/08–09 (3)/रा0, जी. एस. आर.—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राजस्व सेवा का गठन और उसमें भर्त्ती की प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

अध्याय–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।–

(i) यह नियमावली बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।– इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो,

(क) "विभाग" से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ;

(ख) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;

(ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार राज्यपाल ;

(घ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा विभागीय प्रोन्नति के लिए सम्यक् रूप से गठित समिति ;

(ड.) "निदेशालय" से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, भू–अर्जन निदेशालय, चकबंदी निदेशालय, कृषि गणना कार्यालय या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन सम्यक् रूप से गठित कोई अन्य निदेशालय ;

(च) "सेवा का सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन बिहार राजस्व सेवा में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति ;

(छ) "ग्रेड" से अभिप्रेत है अनुसूची–1 में सूचीबद्ध कोई ग्रेड ;

(ज) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के सन्दर्भ में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा सेवा के सभी उच्चतर ग्रेड या पदों के सन्दर्भ में बिहार के राज्यपाल;

(झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची ;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार राजस्व सेवा;

(ट) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् पहली अप्रील से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि;

(ठ) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग; तथा

(ड) "वर्ष के अन्दर रिक्ति" से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्ति।

3. सेवा का गठन, संवर्ग एवं पदों का वर्गीकरण।–

(क) इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से बिहार राजस्व सेवा का गठन किया जाता है। अनुसूची–1 में नियमित रूप में विभिन्न ग्रेड में पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस सेवा में शामिल होंगे।

(ख) सेवा में मंजूर पदों की संख्या और इसके विभिन्न पदों के वर्गीकरण इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची–1 में दी गयी विवरणी के अनुसार होगी :

फिर भी सरकार अनुसूची–1 को आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित कर सकेगी और इसमें दिये गये पदों की संख्या घटा–बढ़ा सकेगी या पदों की कोई भी संख्या स्थगितावस्था में रख सकेगी तथा ग्रेड में परिवर्तन कर सकेगी।

अध्याय–2

भर्त्ती की प्रक्रिया एवं अनुपात

4. रिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना।– प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रील को सरकार उस वर्ष अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड में सीधी भर्त्ती और प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगी और उसके अनुसार सीधी नियुक्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना आयोग को 30 अप्रील तक प्रेषित करेगी।

5. आरक्षण।–इस सेवा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में सरकार द्वारा समय–समय पर अविभावी आरक्षण के प्रावधान लागू रहेंगे।

6. उम्र–सीमा।–सीधी भर्त्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के एक अगस्त को इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय–समय पर नियत की जाय।

7. विहित कालावधि।—सेवा के विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि वही होगी, जो राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय–समय पर नियत की जाय।

8. अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड में नियुक्ति।—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति।—

(i) अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के 75% (पचहत्तर प्रतिशत) पदों को सीधी भर्ती से आयोग द्वारा अन्य सेवाओं के लिए निर्धारित मानदण्डों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा।

(ii) सीधी नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि या अन्य समकक्ष विषय में स्नातक या स्नातक समकक्ष योग्यताधारी होना अनिवार्य होगा।

(ख) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति।—

(i) अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के शेष 25% (पच्चीस प्रतिशत) पदों को राजस्व कर्मचारी संवर्ग से सिर्फ स्नातक या स्नातक समकक्ष योग्यताधारी राजस्व कर्मचारियों के लिए आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा।

(ii) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदक को राजस्व कर्मचारी के रूप में 10 वर्षो की सेवा एवं संपुष्ट होना आवश्यक होगा।

(iii) आवेदक को राजस्व कर्मचारी के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जाने वाले विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

9. अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में प्रोन्नति।—(i) अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पदों को अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के योग्यताधारी पदधारकों से आपसी वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

10. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष ग्रेड में प्रोन्नति।—भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष ग्रेड के पदों को अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के योग्यताधारी पदाधिकारियों से वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

11. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में प्रोन्नति।—जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पदों को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष ग्रेड के योग्यताधारी पदाधिकारियों से वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

12. अपर समाहर्त्ता, भू–हदबन्दी एवं समकक्ष ग्रेड में प्रोन्नति।—अपर समाहर्त्ता, भू–हदबन्दी एवं समकक्ष ग्रेड के पदों को जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के योग्यताधारी पदाधिकारियों से वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

13. विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना एवं कार्य।—(क) अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड एवं उससे ऊपर के ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना निम्न रूप होगी :—

(i)	सदस्य, राजस्व पर्षद	—	अध्यक्ष
(ii)	प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	—	सदस्य
(iii)	प्रधान सचिव/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग	—	सदस्य
(iv)	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी	—	सदस्य
(v)	प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	—	सदस्य सचिव

(ख) विभागीय प्रोन्नति समिति किसी उम्मीदवार की प्रोन्नति के लिए अपेक्षित योग्यता धारित करने के संबंध में सरकार को परामर्श देगी।

(ग) सरकार विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आलोक में प्रोन्नति के लिए पदाधिकारियों का अंतिम चयन करने पर विचार करेगी।

(घ) सेवा के अधिकतम वेतनमान के ग्रेड में प्रोन्नति के लिए विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य होंगे।

अध्याय–3
परिवीक्षा एवं सम्पुष्टि

14. परिवीक्षा।— (क) मौलिक रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त होनेवाला प्रत्येक व्यक्ति पद ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा :

फिर भी जिस अवधि में कोई व्यक्ति उक्त पद पर स्थानापन्न या अस्थाई तौर पर नियुक्त रहा हो उसका अधिक से अधिक दो वर्ष परिवीक्षा अवधि में गणना की अनुमति सरकार द्वारा दी जा सकेगी।

(ख) परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर यदि किसी व्यक्ति की सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है, तो सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकेगी परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। बढ़ाई गई अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(ग) नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाय।

15. सम्पुष्टि।– परिवीक्ष्यमान रूप से नियुक्त व्यक्ति परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगाः–

(i) केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित की जानेवाली विहित विभागीय परीक्षा, जिसके लिए विषयों का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा राजस्व पर्षद की सहमति से किया जायेगा, में उत्तीर्णता प्राप्त कर लिया हो;

(ii) समय–समय पर विहित किया जानेवाला प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और प्रशिक्षण के अन्त में, यदि परीक्षा हो, तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो; एवं

(iii) इस अवधि में उसका आचरण एवं सेवा संतोषजनक रहा हो :

परन्तु नियम–3 (क) के तहत सेवा में शामिल कर्मियों के लिये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

अध्याय–4
वेतन एवं वरीयता

16. वेतन।– विभिन्न ग्रेड के पदों के वेतनमान अनुसूची–1 में दिये गए विवरण के अनुसार या समय–समय पर सरकार द्वारा पुनरीक्षित उनके समकक्ष वेतनमान के अनुसार होंगे। किसी भी वेतनमान में किसी पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण सरकार द्वारा विहित प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

17. वरीयता।– इस सेवा के सदस्यों की वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित सिद्धांतों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा।

अध्याय– 5
प्रकीर्ण

18. स्थापना संबंधी कार्यों का नियंत्रण।– इस सेवा संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति, प्रोन्नति, पदस्थापन, स्थानान्तरण, सेवा सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य नियुक्ति प्राधिकार के नियंत्रणाधीन होगा।

19. विनियम बनाने की शक्ति ।– इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विभाग विनियमावली बना सकेगा।

20. निरसन एवं व्यावृत्ति।–बिहार कनीय राजस्व सेवा नियमावली, 2004 एतद् द्वारा निरसित की जाती है, फिर भी ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली के तहत की गई नियुक्तियाँ या निर्गत किये गये आदेश प्रवृत्त और विधिमान्य बने रहेंगे, मानों वे इस नियमावली के समुचित उपबन्धों के अधीन निर्गत किये गये हों।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

अनुसूची–1
बिहार राजस्व सेवा में स्वीकृत पद बल
{देखें नियम–3}

(क) अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड :–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	अंचल निरीक्षक	5000–8000	572
2	अंचल निरीक्षक–सह–कानूनगो, भू–अभिलेख एवं परिमाप	5000–8000	72
3	कानूनगो, भू–अर्जन	5000–8000	38
4	सहायक चकबन्दी पदाधिकारी, चकबंदी	5000–8000	170
5	लीव एवं प्रशिक्षण सुरक्षित पद (चार प्रतिशत)	5000–8000	34
कुल पद			**886**

(ख) अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड :–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	अंचल अधिकारी	6500–10500	534
2	कार्यपालक दंडाधिकारी	6500–10500	147
3	सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी	6500–10500	60
4	चकबंदी पदाधिकारी	6500–10500	60
कुल पद			**801**

(ग) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष ग्रेड :–

क्र0सं0	पदों के नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	8000–13500	101
2	सहायक निदेशक (कृषि गणना)	8000–13500	03
3	सहायक निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग	8000–13500	02
4	अनुदेशक, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान, पटना	8000–13500	03
5	अनुदेशक, सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, गया	8000–13500	07
6	शोध पदाधिकारी, चकबन्दी निदेशालय	8000–13500	01
7	अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, भू–हदबन्दी	8000–13500	03
8	अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी	8000–13500	14
कुल पद			**134**

(घ) जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड :–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी	10000–15200	38
2	विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग	10000–15200	10
3	सहायक निदेशक, चकबन्दी	10000–15200	14
4	उप निदेशक, कृषि गणना	10000–15200	01
5	सहायक निदेशक,भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय	10000–15200	01
6	उप निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग	10000–15200	01
कुल पद			**65**

(ड़) अपर समाहर्त्ता, भू–हदबन्दी एवं समकक्ष ग्रेड :–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	अपर समाहर्त्ता, भू–हदबन्दी	12000–16500	15
2	प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोवस्त	12000–16500	09
3	उप निदेशक, चकबन्दी	12000–16500	15
4	प्राचार्य, चकबन्दी प्रशिक्षण संस्थान, पटना	12000–16500	01
5	प्राचार्य, सर्वे प्रशिक्षण संस्थान,गया	12000–16500	01
6	संयुक्त निदेशक, कृषि गणना	12000–16500	01
कुल पद			**42**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

अधिसूचना

2 दिसम्बर 2009

सं० पिछड़ा वर्ग–95/स्था0–15–3/08–1496—विभागीय पत्रांक 42 दिनांक 25 फरवरी 1999 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्राओं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या उच्च आवासीय विद्यालयों का स्थापना एवं इसके लिए पदों का सृजन किया गया है। बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 के क्रमांक 18 में वर्णित पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों/शिक्षकों के स्थापना सहित कार्य आवंटित है। कल्याण विभाग का पुनर्गठन अप्रैल, 2007 से हो जाने के बावजूद भी यह कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय विभाग के अंतर्गत है। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का स्थापना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन करने का मामला सरकार के विचाराधीन था। सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का स्थापना एवं पूर्ण संधारण पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा किया जाय।

निम्नांकित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का स्थापना एवं संचालन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा :–

i	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय–	पटना
ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय–	मोकामा पटना
iii	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय–	मुजफ्फरपुर
iv	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय–	दरभंगा
v	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय–	गया
vi	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय–	मुंगेर
vii	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय–	पूर्णियाँ
viii	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय–	सहरसा
ix	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय–	सारण छपरा
x	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय–	भागलपुर
xi	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय–	काराकाट रोहतास
xii	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय–	समस्तीपुर

बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम 1979 के क्रमांक 18 के अधीन संचालित विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पैतृक विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना होगा।

विभाग के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों में वर्तमान में पदधारक शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की पदावधि, पारिश्रमिक और सेवाशर्त एवं निबंधन वहीं होंगे, जो उक्त विद्यालयों में ग्रहण किये जाने के पूर्व थे तथा वह उसी रूप में तबतक कार्य करता रहेगा, जबतक कि विभाग द्वारा उसकी पदावधि, पारिश्रमिक, सेवाशर्त एवं निबंधन में सम्यक् परिवर्तन न कर दें। साथ ही जब तक वर्तमान में पदस्थापित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी के पद के विरूद्ध पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होती है, तबतक वर्तमान में पदस्थापित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी अस्थायी रूप से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में कार्यरत रहेंगे।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण निदेशालय विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों का स्थापना/स्थानान्तरण/पदस्थापन एवं प्रशासनिक नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा।

यह अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 के0पी0 रामय्य, सचिव।

पथ निर्माण विभाग

शुद्धि–पत्र

11 जनवरी 2010

सं0 1/स्था–54/2005–487(एस)—विभागीय अधिसूचना सं0–14056 (एस), दिनांक 2 दिसम्बर 2009 में सेतु निरूपण पदाधिकारी के स्थान पर सेतु निरूपण पदाधिकारी सं0–1 पढ़ा जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

15 जनवरी 2010

सं० 2/सी. एम. टी. – 33/2001–138—मोटर वाहन अधिनियम 1988 की घारा 200 के तहत प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से छः माह के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को उक्त धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन लिए प्राधिकृत करती है। शमन की राशि, उक्त धाराओं (धारा 200 में वर्णित विभिन्न धाराओं) के अधीन विहित राशि से कम नहीं होगी।

क0 सं0	पदाधिकारियों का नाम	कार्य क्षेत्र	मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर	दानापुर अनुमंडल	200	
2	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटनासिटी	पटना सिटी अनु क्षेत्र	200	
3	पुलिस अधीक्षक, सचिवालय	पटना मुख्यालय	200	
4	पुलिस उपाधीक्षक, विधि व्यवस्था, कोतवाली पटना	पटना नगर क्षेत्र	200	
5	पुलिस उपाधीक्षक, नगर		200	
6	पुलिस उपाधीक्षक, सदर		200	
7	पुलिस उपाधीक्षक, पी0 सी0 आर0 पटना	पटना नगर क्षेत्र	200	
8	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारी	फुलवारी अनु0 क्षेत्र।	200	
9	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फतुहा	फतुहा अनु0 क्षेत्र	200	
10	थानाध्यक्ष रूपसपुर	रूपसपुर थाना	200	
11	थानाध्यक्ष खगौल	खगौल थाना पटना	200	
12	थानाध्यक्ष बुद्वाकॉलोनी	बुद्वाकॉलोनी थाना पटना	200	
13	थानाध्यक्ष दीधा, पटना	दीधा थाना पटना	200	
14	थानाध्यक्ष शास्त्री नगर, थाना पटना	शास्त्री नगर थाना	200	
15	थानाध्यक्ष कृष्णापुरी, पटना	कृष्णापुरी थाना पटना	200	
16	थानाध्यक्ष गर्दनीबाग, पटना	गर्दनीबाग थाना पटना	200	
17	थानाध्यक्ष गॉधीमैदान, पटना	गॉधीमैदान थाना पटना	200	
18	थानाध्यक्ष कदमकुऑ, पटना	कदमकुऑ थाना पटना	200	
19	थानाध्यक्ष कंकड़बाग, पटना	कंकड़बाग थाना पटना	200	
20	थानाध्यक्ष जक्कनपुर, पटना	जक्कनपुर थाना पटना	200	
21	थानाध्यक्ष फुलवारशरीफ, पटना	फुलवारशरीफ, पटना	200	
22	थानाध्यक्ष बेउर, पटना	बेउर, पटना	200	
23	थानाध्यक्ष पत्रकारनगर, पटना	पत्रकारनगर थाना पटना	200	
24	थानाध्यक्ष मालसलामी, पटना	मालसलामी थाना, पटना	200	
25	थानाध्यक्ष अगमकुँआ, पटना	अगमकुँआ, थाना पटना	200	
26	थानाध्यक्ष आलमगंज, पटना	आलमगंज, थाना पटना	200	
27	सभी परीचारी प्रवर यातायात पटना	पटना नगर क्षेत्र	200	
28	सभी परीचारी प्रवर यातायात	पटना नगर क्षेत्र, पटना	200	
29	पुलिस निरिक्षक यातायात	पटना नगर क्षेत्र	200	
30	थानाध्यक्ष खाजेंकलॉ, पटना	खाजेंकलॉ थाना, पटना	200	

क0 सं0	पदाधिकारियों का नाम	कार्य क्षेत्र	मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
31	थानाध्यक्ष चौक, पटना	चौक थाना ,पटना	200	
32	थानाध्यक्ष मेंहंदीगंज, पटना	मेंहंदीगंज थाना, पटना	200	
33	थानाध्यक्ष जानीपुर, पटना	जानीपुर थाना, पटना	200	
34	थानाध्यक्ष परसा बाजार, पटना	परसा बाजार थाना, पटना	200	
35	थानाध्यक्ष शाहपुर, पटना	शाहपुर थाना, पटना	200	
36	थानाध्यक्ष सचिवालय, पटना	सचिवालय थाना, पटना	200	
37	थानाध्यक्ष राजीवनगर, पटना	राजीवनगर थाना, पटना	200	
38	थानाध्यक्ष डुमरा अंचल, पटना	डुमरा अंचल, पटना	200	
39	थानाध्यक्ष फतुहा अंचल, पटना	फतुहा अंचल थाना, पटना	200	

2. शक्ति प्रदत सभी संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य का मासिक प्रतिवेदन अलग–अलग परिवहन मुख्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएगें।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, सचिव।

मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन-विभाग, मुजफ्फरपुर

कार्यालय-आदेश
14 जनवरी 2010

सं०स्था0-3, बी-18/98-41—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व० भोला प्रसाद यादव भूतपूर्व पदचर मुख्य अभियंता (उ०) कार्यालय नलकूप प्रभाग, मुज0 के आश्रित पुत्र-श्री धर्मेन्द्र यादव को नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 रुपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. श्री धर्मेन्द्र यादव पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व० भोला प्रसाद यादव के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री धर्मेन्द्र यादव को योगदान

के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री धर्मेन्द्र यादव की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु श्री धर्मेन्द्र यादव को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से,
राजवंश राय, मुख्य अभियंता (उत्तर)।

---

15 जनवरी 2010

सं० स्था0-3, बी-25/09-55—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व० रामलखन राय भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमणडल, समस्तीपुर के आश्रित पुत्र-श्री धर्मेन्द्र राय को नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 रुपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. श्री धर्मेन्द्र राय पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व० रामलखन राय के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक, 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री धर्मेन्द्र राय को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री धर्मेन्द्र राय की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु श्री धर्मेन्द्र राय को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से,
राजवंश राय, मुख्य अभियंता (उत्तर)।

---

16 जनवरी 2010

सं० स्था0-3, बी-23/09-56—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व० राजेन्द्र चौधरी भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमणडल, सिवान के आश्रित पुत्र-श्री विष्णुदेव यादव को नलकूप प्रमण्डल, सिवान के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. श्री विष्णुदेव यादव पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व० राजेन्द्र चौधरी के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, सिवान के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री विष्णुदेव यादव को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री विष्णुदेव यादव की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु श्री विष्णुदेव यादव को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से,
राजवंश राय, मुख्य अभियंता (उत्तर)।

पर्यटन निदेशालय

शुद्धि–पत्र

7 जनवरी 2010

सं० पर्य०/लो०सू०को०–01/06–32—पर्यटन विभाग, बिहार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–1062, दिनांक 3 अगस्त 2007 के संबंध में क्रमांक 1 एवं 2 निम्नवत पढ़ा जाय।

1. अपीलीय पदाधिकारी – मो० हसनैन खाँ, संयुक्त पर्यटन निदेशक, बिहार
2. लोक सूचना पदाधिकारी – श्री ओम प्रकाश प्रसाद, उप पर्यटन निदेशक, बिहार

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, निदेशक।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

शुद्धि–पत्र

11 जनवरी 2010

सं० I/इ[1]–1092/96–96–विभागीय अधिसूचना सं0 825, दिनांक 28 अप्रील 1997 में एक नयी कंडिका–'4' निम्नवत् जोड़ा जाता है–

4. सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0–4672/96 में पारित न्यायादेश के आलोक में श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह की वरीयता विभागीय अधिसूचना सं0–346, दिनांक 6 मार्च 1993 के द्वारा नियुक्त श्री अरविन्द कुमार खाँ के नीचे तथा श्री सरोज कुमार सिन्हा के ऊपर होगी।

विभागीय अधिसूचना सं0–825, दिनांक 20 अप्रील 1997 को इस हद तक संशोधित समझा तथा पढ़ा जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी, सचिव।

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

7 दिसम्बर 2009

सं० प्रेस–393/09–86-सू0ज0स0वि0—बिहार राज्य पत्रकार कल्याण कोष नियमावली 1981 में प्रदत्त व्यक्तियों का उपभोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा 'बिहार राज्य पत्रकार कल्याण कोष संचालन समिति' का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:–

1. निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना	पदेन अध्यक्ष
2. श्री सुभाष पांडेय, ब्यूरो प्रमुख, दैनिक जागरण, पटना	सदस्य
3. श्री फैजान अहमद, विशेष संवाददाता, टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना	सदस्य
4. श्री अरूण अशेष, ब्यूरो प्रमुख, हिन्दुस्तान, पटना	सदस्य
5. श्री संतोष कुमार, संवाददाता, राष्ट्रीय सहारा, पटना	सदस्य
6. श्री प्रकाश कुमार, ब्यूरो प्रमुख, स्टार टी0वी0, पटना	सदस्य

2. बिहार राज्य पत्रकार कल्याण कोष संचालन समिति की कार्य अवधि, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले दो वर्ष के लिए होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेश भूषण, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 46—571+2000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in